

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अधिसूचना

संचिका संख्या : 11/नि० ०२-१ / 2019/विभागीय अधिसूचना संख्या-1142 दिनांक-01.07.2019 के द्वारा बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम 6(i)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया।

उक्त अधिसूचना के तहत नियोजन की कार्रवाई दिनांक-29.07.2019 से प्रारंभ होकर दिनांक-29.11.2019 तक पूर्ण किया जाना है। नियोजन संबंधित गतिविधि की समीक्षा दिनांक-23.10.2019 मुख्यालय स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की बैठक में की गई। बैठक में यह सूचना प्राप्त हुआ कि जिला बक्सर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, गोपालगंज, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, बांका एवं सुपौल में अवस्थित नियोजन इकाई के स्तर पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। शेष जिलों में अवस्थित कतिपय नियोजन इकाई अन्तर्गत विभिन्न कारणों यथा आसन्न लोकसभा एवं विधान सभा के उप चुनाव तथा बाढ़/अतिवृष्टि के कारण नियोजन संबंधित गतिविधि निर्धारित समय के अनुरूप नहीं हो सकी है। संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के द्वारा नियोजन संबंधित कार्यक्रम में संशोधन करते हुए इसे विस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

उक्त पृष्ठभूमि में समीक्षोपरांत उक्त अधिसूचना संख्या-1142 दिनांक-01.07.2019 को निम्नांकित रूप से औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन करने के स्तर से संशोधित किया जाता है:-

क्रमांक	नियोजन संबंधित गतिविधि	तिथि
1.	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	01-11-2019 तक
2.	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	04-11-2019 तक
3.	औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति	05-11-2019 से 20-11-2019 तक
4.	आपत्तियों का निराकरण	27-11-2019 तक
5.	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	30-11-2019 तक
6.	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जाँच	02-12-2019 से 05-12-2019 तक
7.	जिला परिषद/शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	09-12-2019 तक
8.	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	10-12-2019 तक
9.	अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से सत्यापन	28-12-2019 तक
10.	जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउन्सिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना :	नगर निकाय जिला परिषद
		30-12-2019 31-12-2019

नियोजन की कार्रवाई से संबंधित पूर्व में निर्गत निदेश यथावत् रहेंगे।

राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अरशद फिरोज)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।



ज्ञापांक : 11/नियोजन 02-01/2019

पटना, दिनांक, 2019

- प्रतिलिपि: (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- (2) सभी जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।


ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/नियोजन 02-01/2019 1973

पटना, दिनांक 28-10 2019

- प्रतिलिपि: (1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/प्रशाखा-18 को सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।


उप सचिव, शिक्षा विभाग।

Edu. News